उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा अनुभाग–1
संख्या–289 / 21–1–2007–सा0–6 / 2007
लखनऊः दिनांक 18 जून,2007

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 अधिसूचना संख्या–8923 / 21–1–94–3(1)क) / 82, दिनांक 24 दिसम्बर,1994 के अनुक्रम में उ0प्र0 भाषा संस्थान की नियमावली के नियम–2, नियम–4क(च), नियम–4क(चच), नियम–5(ग), नियम–7क(24) को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्द्धन / संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम–2–संस्थान का पंजीकृत कार्यालय एवं पूरा पता–कमरा नं0–120 मुख्य भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ में होगा।	नियम–2–उ0प्र0 भाषा संस्थान,721,इन्दिरा भवन,लखनऊ में होगा।
नियम–4क(च)–'कार्यकारी अध्यक्ष' से तात्पर्य संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष से है जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा।	नियम–4क(च)–कार्यकारी अध्यक्ष से तात्पर्य संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष से है,जो हिन्दी भाषा एवं साहित्य का विद्वान कोई गैर सरकारी व्यक्ति होगा,उसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यदि वह त्याग पत्र न दे अथवा राज्य सरकार द्वारा न हटाया जाय तो उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। नियम–4क(चच)–कार्यकारी उपाध्यक्ष से तात्पर्य संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष से है,जो हिन्दी भाषा एवं साहित्य काविद्वान कोई गैर सरकारी व्यक्ति होगा,उसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यदि वह त्याग–पत्र न दे अथवा राज्य सरकार द्वारा न हटाया जाय तो उनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

नियम–5(ग)–राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य। किसी व्यक्ति को संस्थान के सदस्य के रूप में उनके द्वारा धारित पद की हैसियत से नामित किया जायेगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल समान रूप से 2 वर्ष का होगा परन्तु उनका कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा उक्त पद के धारण न करने की स्थिति में उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस प्रकार हुयी रिक्ति की पूर्ति उक्त पद हेतु उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जायेगी। जो लोग साधारण सभा के सदस्य होंगे वह लोग ही संस्थान के सदस्य होंगे। जिनकी सूची स्तम्भ–7 (क) में उल्लिखित है।	नियम–5(ग)–राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य। किसी व्यक्ति को संस्थान के सदस्य के रूप में उनके द्वारा धारित पद की हैसियत से नामित किया जायेगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल समान रूप से 01 वर्ष का होगा परन्तु उनका कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा उक्त पद के धारण न करने की स्थिति में उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस प्रकार हुयी रिक्ति की पूर्ति उक्त पद हेतु उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जायेगी। जो लोग साधारण सभा के सदस्य होंगे वह लोग ही संस्थान के सदस्य होंगे। जिनकी सूची स्तम्भ–7 (क) में उल्लिखित है।
नियम–7क(24)–सचिव,महानिदेशक एवं सदस्य संयोजक भाषा विभाग,उ0प्र0 शासन।	नियम–7क(24)–प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग,उ0प्र0 शासन,महानिदेशक एवं सदस्य संयोजक होंगे।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 भाषा संस्थान की नियमावली यथावत् रहेगी।

(डा0 अनीता भटनागर जैन)
सचिव

संख्या– (1)/21–1–2007–सा0–6/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव,मंत्रिमण्डलीय सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव,प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश शासन।
3– निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव,भाषा विभाग,
4– प्रमुख सचिव,न्याय विभाग।
5– प्रमुख सचिव,वित्त विभाग।
6– प्रमुख सचिव,शिक्षा विभाग।
7– निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/संस्कृति विभाग।
8– कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी

18/6/07

18/6/07